

1. मूल्य हस्तान्तरण के बाद भी उसके उसके वैधानिक स्थल में कोई परिवर्तन नहीं होगा और वह भी पूर्व की भाँति रहित या वन पचायत मूल्य बनी रहेगी।
2. प्रथमतः मूल्य का उपयोग केवल कृषि या कृषि के लिए किया जाएगा अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं।
3. याचक विभाग प्रस्तावित मूल्य अथवा उसके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नहीं करेगा।
4. मूल्य का संयुक्त निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया गया है कि मौनी गई मूल्य न्यूनतम है तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक मूल्य उपलब्ध नहीं है।
5. हस्तान्तरणीय विभाग उसके कर्मचारी, अधिकारी अथवा ठेकेदार वन मूल्य को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायेगा और ऐसा किसे जानने पर सम्बन्धित वनाधिकारी द्वारा निर्धारित मुआवजे के अनुसार उक्त विभाग को करना होगा, जिसके याचक विभाग सहमत है।
6. मूल्य का सीमांकन याचक विभाग अपने व्यय से सम्बन्धित वनाधिकारी की दर-रेख में करायेगा तथा इस सम्बन्ध में बनाये गये मुनारे आदि की भी देखभाल करेगा।
7. हस्तान्तरण वन मूल्य पर वन विभाग के कर्मचारियों को निरीक्षण हेतु जाने पर हस्तान्तरणीय विभाग को कोई आपत्ति नहीं होगी।
8. बहुमूल्य वन सम्पदा से आच्छादित एवं वन जन्तुओं से भरपूर वन क्षेत्रों का हस्तान्तरण यथासंभव प्रस्तावित न किया जाय। केवल अपरिहार्य कारणों से ही ऐसा किया जाना सम्भव होगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वन सम्पदा की क्षतिपूर्ति एवं अन्य जन्तुओं के स्वच्छन्द विवरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही मूल्य हस्तान्तरित की जायेगी।
9. सिंचाई विभाग/जल निगम द्वारा वन विभाग की नहरसरियाँ पौधों को एवं वन विभाग के कर्मचारियों की निःशुल्क जल की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।
10. याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित वन मूल्य का उपयोग अन्य प्रयोजन हेतु करने अथवा विभाग संस्था या व्यक्ति विशेष की हस्तान्तरित करने पर वन मूल्य स्वतः विना किसी प्रकार के प्रतिकार का भुगतान किसे वन विभाग को प्राप्त हो जायेगी।
11. सड़क निर्माण के प्रस्तावों पर एंलाईनमेंट तब ही तब समय स्थानीय स्तर पर वन विभाग का प्रत्यक्ष प्रतिकार का भुगतान किसे वन विभाग को प्राप्त हो जायेगी।
12. सड़क निर्माण के प्रस्तावों पर एंलाईनमेंट तब ही तब समय स्थानीय स्तर पर वन विभाग का प्रत्यक्ष प्रतिकार का भुगतान किसे वन विभाग को प्राप्त हो जायेगी।
13. वन मूल्य पर खड़े वृक्षों का निस्तारण वन विभाग उओओ वन निगम अथवा और कोई उपयुक्त प्रक्रिया जो वन विभाग उचित समझे द्वारा किया जायेगा। यदि किसी कारण से वृक्षों का निस्तारण वन विभाग द्वारा सम्भव न हो सके और उसका पालन आवश्यक हो तो याचक विभाग द्वारा वृक्षों का बाजार भाव पर मूल्य देय होगा।
14. हस्तान्तरित मूल्य पर पड़ने वाले वृक्षों के प्रतिकार में याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित मूल्य के समतुल्य वृक्षारोपण का भुगतान अथवा समतुल्य और वानिकी मूल्य उपलब्ध न होने पर प्रस्तावित मूल्य के तुलने और वानिकी क्षयफल में वृक्षारोपण तथा 3 वर्ष तक परिपोषण व्यय जो भी वन विभाग द्वारा तय किया जाय याचक विभाग वन विभाग को करेगा। 1000 मीटर एवं 30 हेक्टेयर से अधिक जंगल पर खड़े वृक्षों का पालन भी निश्चित है, इसी प्रकार बाँट के वृक्षों पर पालन भी वर्जित है। ऐसे वृक्षों के पालन का निरीक्षण वन संरक्षक स्तर पर ही होगा।

अमीन

कनिष्ठ अभियन्ता
नि० खण्ड लो० नि० वि०
पोखरी

सहायक अभियन्ता
नि० खण्ड लो० नि० वि०
पोखरी

अधिशाली अभियन्ता
नि० खण्ड लो० नि० वि०
पोखरी

- प्रमाणित किया जाता है कि वन विभाग उत्तराखण्ड शासन तथा भारत सरकार द्वारा लगाई गई शर्त याचक विभाग को मान्य है।
15. वन भूमि के ऊपर से विद्युत लाईन ले जाने में यथासम्भव षेडों का कटान नहीं किया जायेगा। या खम्भों को ऊँचा करके इसे सुनिश्चित किया जायेगा। यदि फिर भी षेडों का कटान अनिवार्य प्रतीत होता है तो न्यूनतम षेडों की संख्या संयुक्त स्थल निरीक्षण करके सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा निश्चित की जायेगी, जिस पर संरक्षण का अनुमोदन आवश्यक है।
16. यदि नहर आदि निर्माण में भू-संरक्षण की सम्भावना होती है और नहर की दोनों पट्टीयों को पक्का करना अगर आवश्यक समझा जाता है तो ऐसा याचक विभाग स्वयं अपने व्यय से करायेगा।
17. उपरीलिखित मानक शर्तों के अतिरिक्त यदि भारत सरकार अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्ट प्रकार में कोई अन्य शर्त लगाई जाती है तो याचक विभाग को मान्य होगी।
18. वन भूमि का वास्तविक हस्तान्तरण तभी किया जाय, जब उक्त शर्तों का पूरा पालन कर लिया जाय अथवा उनका समुचित स्तर से आश्वासन प्राप्त हो जाय।